न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 29/24 तारीख रज्जू– 25/10/24

1. कलाम पुत्र गुलाम जाति मुसलमान , निवासी बेरखण्डी , तहसील बरनाला। –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बरनाला । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः– 06.12.2024

उपस्थित
1. अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा – अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट पक्ष

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बरनाला द्वारा मिसल संख्या 39/24 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बेरखण्डी के आराजी ख0नं0 55/1448 रकबा 0.40 है0 किस्म नहरी 2 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2024 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा संपूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय रूप से संपादित करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपना निर्णय पारित किया है , जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है, पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने संबंधी पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान अपीलार्थी की मौजूदगी में नहीं लिए है तथा पटवारी हल्का के तथाकथित रूप से दर्ज बयान फ्रोरमेट बयान ही है। जो कि बयानों की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके

Gsaini

निरीक्षण किया है,साथ ही पटवारी हल्का द्वारा नवीन रिपोर्ट दिनांक 27/11/2024 में ाया है कि उक्त वाद आराजीयात ख0नं0 55/1448 रकबा 0.40 है0 किस्म नहरी 2 भूमि के पर खाली पड़ी हुई है। उक्त खसरा नम्बर पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, साथ अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय रस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार रकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का वसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिकमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27/11/2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात मौके पर खाली पड़ी हुई है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय तहसीलदार बरनाला में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/12/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी